और देते हैं और दुनिया भर में फेयर्स बढ़े हुए हैं। यदि उसमें कोइ दिक्क्त है तो निश्चित तौर में उसका ...(**व्यवधान**)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, if this is allowed, we will ,, become a laughing stock here ...*(interruption).*

**श्री शरद यादवः** मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं ।

MR. CHAIRMAN: I think we have spent about 15 minutes on this. ...*(Interruptions)*

Please, please here me.

The hon. Members are very much agitated. I think somebody should give notice for a Half-an-Hour Discussion on this. Then we shall discuss this.

Next question.

**श्री शरद यादवः** मगर मेरा जवाब सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)...

**Extra Benefit of M/s Continental Construction Ltd. New Delhi for Work on the Ahmedabad-Vadodara Express Way**

*123. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that M/s Continental Construction Ltd., New Delhi which was awarded contract for the construction of road works including minor bridge, drainage work etc. at Ahmedabad-Vadodara Expressway in 1987, was given extra benefit of Rs. 1.78 crore despite the fact that there was no provision in the supplementary agreement;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action Government have taken against the officer who had conferred the unintended benefit of such amount to the contractor?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJNATH SINGH): (a) and (b) Payment to the contractor was made in accordance with the supplementary agreement and subsequent decisions taken by the Government in the interest of work..

(c) Does not arise.

**श्री अमर सिंहः** धन्यवाद मंत्री जी, कार्य के हित में आपने ठेकेदार को जो भुगतान किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सी.ए.जी की रिपोर्ट लाई गई है, जिसमें उस भुगतान के लिए सी.ए.जी ने कडी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़, 78 लाख रुपये का अनावश्यक भुगतान किया गया है ?

**श्री राजनाथ सिंहः** श्रीमन्, सी.ए.जी ने निश्चित तौर पर ऑब्जेक्शन रेज किया है और सी.ए.जी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 1 करोड़ 78 लाख रुपये की जो हाई पेमेंट हुई है, वह उचित नहीं है लेकिन सी.ए.जी के साथ मिनिस्ट्री का कोरेस्पोडेंस चल रहा है। मैं पूरी प्रक्रिया को एक्जामिन करा रहा हूं। एक्जामिन करने के बाद जो भी आवश्यक होगा वह कार्रवाई निश्चित रुप से की जाएगी।

**श्री अमर सिंहः** मंत्री जी, मैं आपसे अत्यंत ही विनय के साथ यह कहना चाहता हूं कि सी.ए.जी की रिपोर्ट को हल्के तरीके से नहीं लेना चाहिए। सी.ए.जी की रिपोर्ट में 1 करोड़, 78 लाख रुपये का घपला है और अगर सी.ए.जी की रिपोर्ट में यह उद्वत है तो एक्स्ट्रा अमाउंट की रिकवरी के कार्य हित में ठेकेदार को सरकार ने जो पैसा दे दिया है, वह बड़ा अच्छा है लेकिन सी.ए.जी की रिपोर्ट में टिप्पणी के बाद ठेकेदार से इस फालतू दिए रुपये को वापस लेने की कोई मंशा सरकार की है या नहीं, कृपया सदन को इससे अवगत कराएं।

**श्री राजनाथ सिंहः** सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि मैसर्ज़ सी.सी.एल. कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ यह करार हुआ था। साथ साथ एक यू.के. की फर्म बेलफोर बेट्टी दोनों का ज्वाइंट वेंचर बना था और इस ज्वाइंट वेंचर को कंट्रेक्ट जून 1987 में अवार्ड हुआ था लेकिन जो यू.के. की कंपनी है इसने ज्वाइंट वेंचर से अपने को 1989 में विदड्रा कर लिया था। फिर सी.सी.एल ने कहा कि भले ही यू.के. की फर्म ने अपने को विदड्रा कर लिया हो लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रिमेंट के आधार पर मैं काम पूरा कर सकता हूं। फिर दिसम्बर, 1992 में यह फैसला हुआ कि सी.सी.एल. को यह काम दे दिया जाए। फिर इसके साथ एक सप्लीमेंटरी एग्रीमेंट हुआ जिसमें यह कहा गया था कि 31 दिसम्बर, 1994 तक सी.सी.एल. इस काम को पूरा कर लेगी। लेकिन सी.सी.एल. के काम की प्रोग्रेस भी सेटिस्फेक्टरी नहीं थी इसलिए सी.सी.एल. के साथ कंट्रेक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया। जब तक का काम हो चुका है, जो बिल था उस बिल के आधार पर 51.8 करोड़ रुपये का पेंमेंट भी सी.सी.एल. को कर दिया गया 150 करोड़ संभवतः उसका डियु था और 1.8 करोड़ रुपये एग्रीमेंट के आधार पर जो एस्केलेटेड कॉस्ट बनती थी उसका पेमेंट हुआ था लेकिन सी.सी.एल. के द्वारा ओब्जेक्शन रेज़ किया गया है तो निश्चित रुप से वह बहुत ही गम्भीर है और उसे हम लोगों ने बहुत गम्भीरतापूर्वक लिया है और हमारी मिनिस्ट्री का कोरेस्पोंडेंस अभी सी.ए.जी. के साथ चल रहा है यदि सी.ए.जी. सेटिस्फाई नहीं होंगे तो निश्चित रुप से जो आवश्यक होगा, वह कार्यवाही करेगी।

MISS SAROJ KHAPARDE: Sir, I was very carefully listening to the reply given by the hon. Minister. On that basis. I would like to ask the

hon. Minister as to what was the initial time period during which the work was to be completed as per the original plan and what were the circumstances under which the Government had entered into a supplementary agreement with the construction company. I would also like to know whether the Government had to pay any extra amount for the construction work on account of the supplementary agreement and, if so, to what extent the Government had to pay the extra amount. Kindly also let me know whether the same was justified under the circumstances.

**श्री राजनाथ सिंह :** श्रीमन्, जैसे मैंने पहले बतलाया कि यह एग्रिमेंट जून, 1987 में हुआ था और वर्क जनवरी, 1992 तक कंपलीट हो जाना चाहिए था लेकिन यू.के. की फर्म के विदड्रा कर लेने के कारण उसमें कठिनाई पैदा हो गई इसलिए यह काम समय से पूरा नहीं हो पाया। यह जो एग्रिमेंट हुआ था वह 137.19 करोड़ रुपये का हुआ था। फिर अकेले सी.सी.एल. एस काम को करा रही थी। उसने एग्रिमेंट के आधार पर यह तय किया था कि 31 दिसम्बर, 1994 तक वह इस काम को पूरा कर लेंगे लेकिन सी.सी.एल. की वर्क प्रोग्रेस ठीक नहीं थी। इसलिए मजबूर हो कर के सी.सी.एलत के कंट्रेक्ट को टर्मिनेट करना पड़ा, एक्सपेल करना पड़ा। अब यह काम एन.एच.ए.आई. के हाथ में है और मैं समझता हूं कि एन.एच.ए.आई. एक दो महीने के अंदर कंट्रेक्ड भी अवार्ड कर देगी। इस काम को 2000 तक निश्चित रुप से पूरा कर लिया जाएगा।

SHRI GOPALSING S. SOLANKI: Sir, there has been no progress in the work right from the start of the work. Only bridges have been constructed ont he Vadodara-Ahmedabad road. Nothing else has been done so far. Many notices have been issued, but the construction company, to which the contract was granted, has never been put under the lack-list. I would

like to know what has been the price escalation as compared to the initial estimate of the work. How much more expenditure would be incurred? Has the Ministry studied all this or not?

**श्री राजनाथ सिंहः** श्रीमन्, यह तो मैं पहले ही बतला चुका हूं कि सी.सी.एल. जो कंपनी काम कर रही थी जिसे काम को 94 तक पूरा करना था उसको भी टर्मिनेंट किया जा चुका है। अब यह काम एन.एच.ए.आई. को दे दिया गया है। जो कुछ विलम्ब हुआ है उन कारणों की भी जानकारी मैं दे सकता हूं। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि क्या उस कंट्रेक्टर को ब्लैक लिस्ट किया गया है कि नहीं, तो यह सूचना प्राप्त होने पर इसकी जानकारी प्राप्त करके मैं माननीय सदस्य को आपकी अनुमति से अवगत करा दूंगा।

मान्यवर, अभी जानकरी मिली है कि एन.बी.सी.सी.सी.सी.एल. debarred for five years. पांच वर्ष के लिए इनको डिबार कर दिया गया है।

**श्री राघवजी:** सभापति जी, बड़ोदा का जो राजमार्ग था, एक्सप्रेस हाइवे है यह हिंदुस्तान का सबसे पहला एक्सप्रेस हाइवे बनने जा रहा था। दुर्भाग्य से जो 1994 में पूरा होना चाहिए था वह 1996 तक भी पूरा नहीं हुआ है। आगे कब समाप्त होगा इसका पता नहीं है।

**श्री सभापति :** आप सवाल कर लीजिए। सवाल कीजिए।

**श्री राघवजी:** वहीं मैं पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि प्राइस इस्कलेट हुए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह इलेक्शन, जो ठेकेदार के विलंब के कारण है तो क्या ठेकेदार से उसकी वसूली नहीं होनी चाहिए ? अगर होनी चाहिए तो इसके संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार शासन कर रहा है ?

**श्री राजनाथ सिंह:** श्रीमन्, पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सन् 2002 तक अहमदाबाद-बड़ोदा, इस मार्ग का काम निश्चित रुप से पूरा हो जाएगा क्योंकि, अब नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया के हाथ में यह काम आ चुका है। दूसरा, मान्यवर, मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूं इस सदन को कि जो आडिट आब्जेक्शंस सी.ए.जी. के द्वारा रेज किया गया है उसको हम लोग इग्जामिन करा रहे हैं। करेस्पांडेंस भी सी.ए.जी. के साथ चल रहा है और सारी स्थिति स्पष्ट होने के बाद जो आवश्यक होगा वह कार्यवाही हम करेंगे।

**NPAs of Nationalised Banks**

*125. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the NPAs (Non-Performing Assets) of the Nationalised Banks in the country are increasing day by day;

(b) if so, the details of Non-Performing Assets of each of the Nationalised Bank as on November 30, 1999;

(c) whether the profitability of several public sector banks may come under strain in the next few years due to NPAs; and

(d) if so, the corrective steps Govenment propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) and (b) The gross and net non-performing assets of Nationalised banks have gone up in absolute terms to Rs. 33,069.43 crores (16.02%) and Rs. 15,794.16 crores (8.35%) as on 31.3.99 as compared to